(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. (अ)- जहां कि नामित प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन् पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2834 10 10 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 17 अगस्त, 2011, जिसे सा.का.नि. 628 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण (नियमावली), 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में और अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीएडी, दिनांक 27 जुलाई, 2016, जिसे दिनांक 27 जुलाई, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के तहत तृतीय सनसैट रिव्यू जांच का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 76/2011-सीमाशुल्क, सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 17 अगस्त, 2011 का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचना संख्या 46/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 दिसम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 877(अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को जारी करके संशोधित दरों पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखा है;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या 39/2016- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 773(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दिया था (जिसमें यह तारीख भी शामिल है) ।

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में नामित प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीएडी, दिनांक 19 जुलाई, 2017, जिसे दिनांक 19 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र,

असाधारण, के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत देश से संबंधित उत्पाद का यहां लगातार पाटन हो रहा है जिसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
(ii) इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को कम बिक्री और कम कीमत का भी सामना करना पड़ रहा है;
(iii) यदि इस प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के जारी रहने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी;

और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1066(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।I, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि घरेलू उद्योग ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), की प्रधान पीठ, नई दिल्ली में अपील करके दिनांक 19 जुलाई, 2017 के उक्त अंतिम निष्कर्षों को और उक्त सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017 को चुनौती दी थी;

और जहां कि माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने अपने आदेश संख्या AD/A/50774/2019-CU (DB), दिनांक 17.06.2019 (Anti-Dumping Appeal No. 50401 of 2018) में अन्य बातों के अलावा यह निर्णय दिया है कि -

एनआईपी के निर्धारण के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित उक्त नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है अत: इसे निरस्त किया जाता है । इस प्रकार वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सही नहीं है । अत: इस मामले को उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वे इस आदेश में दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए एनआईपी का पुन:निर्धारण करें। तथापि, दिनांक 25 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के तहत लगाया गया शुल्क तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस बारे में वित्त मंत्रालय कोई नई अधिसूचना नहीं जारी कर देता है । तद्नुसार उक्त स्थिति तक इस अपील को स्वीकार किया जाता है ।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उठाए गए मुद्दों तथा संबंधित पक्षकारों के द्वारा दी गई सूचना और उनके कथनों और अपने पास उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अधिसूचना संख्या 15/06/2016-डीजीटीआर, दिनांक 8 नवम्बर, 2019, जिसे 8 नवम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह सिफारिश की है कि इस

संशोधित प्रतिपाटन शुल्क को उस तारीख तक जारी रखा जाएगा जिस तारीख तक केन्द्र सरकार चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट, जो कि सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है, के आयात के बारे में इस निमित्त कोई अधिसूचना नहीं जारी कर देती है। शुल्क सारणी के कॉलम 8 में उल्लेखित संशोधित राशि को ही प्रतिपाटन शुल्क माना जायेगा। यह प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना सं. 40/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25.08.2017 के जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 25 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1066 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

दी गई सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"सारणी

क्र. सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2834 10 10	सोडियम नाइट्राइट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	79.58	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर".

[फाइल संख्या 354/41/2000-टीआरयू (भाग-VI]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार